संख्या-3/2026/15/78-2-2026-ई-91645

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी,2026

विषय: प्रोटोकॉल विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय) के पोर्टल के सिक्योरिटी ऑडिट कराने और एसएसएल सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-D/25-26/3458 दिनांक 29-12-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रोटोकॉल विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय) के पोर्टल के सिक्योरिटी ऑडिट कराने और एसएसएल सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-007-उद्योग के अन्तर्गत धनराशि रू0-11.87 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-1,09,032.00 (रू0-एक लाख नौ हजार बत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27-03-2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें तथा किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को (सक्षम स्तर) द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक,उद्योग, कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
11. प्रबन्ध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शानसादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को का होगा।
13. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को जिम्मेदार होगें।
14. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0-1,09,032.00 (रू0-एक लाख नौ हजार बत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य आय-व्ययक की अनुदान संख्या-7-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स 08-मुख्यमंत्री कार्यालय के वेब पोर्टल्स का अनुरक्षण-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमतीनगर, लखनऊ ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।